

## प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने (i) मूल्ये आधारित नीलामी के जरिए **2,000 करोड़ रुपए** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.37 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2023" (ii) मूल्यु आधारित नीलामी के जरिए **4,000 करोड़ रुपए** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2028", (iii) मूल्या आधारित नीलामी के जरिए **2,000 करोड़ रुपए** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2035", और (iv) मूल्य0 आधारित नीलामी के जरिए **4,000 करोड़ रुपए** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2055" की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यक्षीन 12,000 करोड़ रुपए की सीमा तक भारत सरकार, उपर्युक्ती एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा **28 सितम्बर 2018 (शुक्रवार)** को संचालित की जाएंगी।

2. स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

3. नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई/कुबेर- प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **28 सितम्बर 2018** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. नीलामियों के परिणाम की घोषणा **28 सितम्बर, 2018 (शुक्रवार)** को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **1 अक्टूबर 2018 (सोमवार)** को किया जाएगा।

5. ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के सं0 आरबीआई/2006-07/178, तहत जारी "केन्द्रो सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन देन" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार "कब निर्गमित" कारोबार के लिए पात्र होंगे।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
बजट प्रभाग  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001  
दिनांक: 24 सितम्बर 2018